विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
06 (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सनातन धर्म शिक्षा परिषद/सनातन धर्म इण्टर कालेज रामपुर की प्राभूत अचल सम्पत्ति बेचने की जांच आख्या मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादबाद के पत्र दिनांक 24.04.2022 के क्रम में जांच आख्या जांच समिति द्वारा दिनांक 04.05.2022 को उपलब्ध करा दी गयी थी?	जी हॉ।
(ख) उक्त जांच रिपोर्ट पर दो वर्ष बाद दिनांक 26.07.2024 को कार्यवाही करते हुए प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर को निलम्बित किया गया एवं संस्था के दोषी प्रबंधतंत्र के विरूद्ध शिक्षा अधिनियम–1921 की धारा 16–डी के अधीन कार्यवाही का नोटिस दिया गया है?	दिनांक 26.7.2024 को श्री हरिनाथ सिंह,तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर(प्रभारी प्रधानाचार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर) को निलम्बित किया गया है तथा संस्था प्रबन्धक को माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम 1921 की धारा 16डी(3) के अन्तर्गत निदेशालय के पत्र दिनांक 30.8.2023 द्वारा नोटिस दिया गया है।
(ग) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त दो वर्ष तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है एवं उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करायेंगें?	जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही में जो विलम्ब हुआ है वह प्रक्रियात्मक है।
(घ)अनियमित रूप से भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करने वाले तत्कालीन प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही कब तक करायेगें?	प्रथम दृष्टया भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने का दोषी पाये जाने पर श्री हरिनाथ सिंह, तत्का0 प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर (प्रभारी प्रधानाचार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, ककरौआ, रामपुर) को दिनांक 26.07.2024 को निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है तथा आरोप पत्र दिनांक 27.11.2024 को निर्गत किया जा चुका है।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
मंत्री।